श्रीमती संगीता यादव : सर, सॉरी, आज मैंने इसे नहीं देखा था। मेरा विषय कल लगा था।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Radha Mohan Das Aggarwal.

Demand for the provision of salaries and allowances to local representatives of the constituency

डा .राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि व्यक्ति काम के बदले में वेतन पाए और समान काम के बदले में समान वेतन पाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में जनप्रतिनिधियों के साथ ही दोहरा आचरण किया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, केन्द्र के मंत्रिगण, राज्य के मंत्रिगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, इन सबने संवैधानिक तरीके से कानून बना कर अपने-अपने वेतन, अपने-अपने भत्ते और अपनी-अपनी पेंशन की व्यवस्था की हुई है। हम लोगों ने यह व्यवस्था संविधान प्रदत्त माध्यमों से की है, लेकिन दुखद है कि इस देश में लाखों की संख्या में ऐसे जमीनी जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान से लेकर मेयर तक, जो धरातल पर बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। हम यहाँ विकास की जो भी योजनाएँ बनाते हैं, धरातल पर उनको लागू करने का काम वे ही करते हैं। वे जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। लगातार जन समस्याओं को लेकर उन्हें 24 घंटे काम करना होता है। हमने इन बड़े जनप्रतिनिधियों के लिए संविधान के तौर-तरीके से वेतन, भत्ते और पेंशन की व्यवस्था कर दी। शायद भारत अकेला ऐसा देश होगा, जिसने संवैधानिक रूप से 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया और स्थानीय निकायों को चलाने के लिए संवैधानिक रूप से जनप्रतिनिधियों की व्यवस्था की, उनके अधिकार दिए, उनके दायित्व दिए, लेकिन उनको जो कुछ नहीं दिया, वह यह था कि उनका वेतन नहीं दिया, उनका भत्ता नहीं दिया और उनकी पेंशन नहीं दी। मैं इस सदन से जानना चाहता हूँ कि इस सौतेले और दोहरे आचरण का आधार क्या है? जो छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या उनके परिवार नहीं होते, क्या उनके माँ-बाप नहीं होते? क्या उन्हें अपने माँ-बाप की चिंता नहीं करनी होती, अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी होती? आखिर किन कारणों से आज तक हमने संवैधानिक रूप से उनके लिए यह व्यवस्था नहीं की? स्थानीय आधार पर सरकारें और मुख्य मंत्री दया की तरह उनको वेतन और भत्ता देते हैं तथा ब्यूरोक्रेसी उनको नियंत्रित करती है। इस देश में यह दोहरा आचरण समाप्त होना चाहिए। अगर हम संविधान संशोधन लाकर जनप्रतिनिधियों को लाए थे, तो हमें उस कानून में यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हम उन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाते। हमने यह काम नहीं किया। हमने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। हमने उन्हें अधिकारियों के आधार पर छोड़ दिया है। इसलिए उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ, सरकार से मेरी अपेक्षा है कि 73वें और 74वें संशोधन में सरकार संविधान संशोधन करे और अपने सारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए वेतन, भत्ते और पेंशन की ...(**व्यवधान**)... ...(**समय की घंटी**)...

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री उपसभापति : माननीय श्री विक्रमजीत सिंह साहनी। Demand to Implement Uniform National Level Parameter for Release of Prisoners. Not present. माननीय सदस्यगण, जब आप ज़ीरो ऑवर देते हैं, तो उसके महत्व को समझना भी चाहिए और उस वक्त मौजूद भी रहना चाहिए और अगर हाउस में हैं, तब आपका ध्यान उस पर नहीं है, तो यह आपके लिए self introspection का विषय है। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। राघव जी, आप रूल्स को जानते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं। प्लीज़। Dr. Fauzia Khan, on 'Request to Address the Issue of Missing Women in India'.

Need to address the issue of missing women in India

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Thank you, Sir. The issue of missing women in the country is alarming with 10,61,648 women missing alone in the years 18 and above and 2,50,430 girls below 18 years have reported missing between the years 2019-21. Over two lakh women went missing in the State of Madhya Pradesh alone between the years 2019-21. Yet the reasons have remained undisclosed. Sir, the suspected reasons behind the disappearance of these women are diverse like trafficking, trade and, in minuscule cases, elopement. Tackling this issue requires collective action on various fronts, strengthening law enforcement to identify networks, enhancing border control, establishing a database for accurate identification of the reasons for the disappearances. Additionally, the numbers have come as a surprise to many indicating the lack of awareness of the incidents of disappearance of women. Therefore, public awareness campaigns, community involvement and educational